(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.17/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 2019

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 14क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24कक	08021100	संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी माल	41 रुपए प्रति किलोग्राम	-	-";

(iii) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"32 ख	0808 10 00	संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी माल	70%	-	-";

(iv) क्रम संख्या 177क को क्रम संख्या 177ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखी गई क्रम संख्या 177ख से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"177क	28092010	संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी माल	10%	-	-";

(ख) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"बशर्ते और भी कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 21ग, 21घ, 24क, 24ख, 26क, 32क, 177, 177ख, 249क, 250क, 371क, 371ख, 376क और 377क के समक्ष दी गई प्रविष्टियों में निहित कोई भी बात संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी";

(ग) तीसरे परन्तुक को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 341/15/2018- टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 14 मई, 2019, जिसे सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 14 मई, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।